पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आरएएस

प्रकरण सं0 : 188/2017

अनवान :

1. रामसिंह पुत्र श्री सुलतान जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र श्री सुलतान जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी
निर्णय **दिनांक :** 6/10/17

आज यह वाद मुझ ऋषभ जैन सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 जेएसएल के खाता सं0 189/197 के मु0नं0 20 के किला नं0 1 से 3 प्रत्येक किला की 0.2280 है0 एवं किला नं0 8 से 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 कुल 1.4430 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि एंव चक नं0 3 जेएसएल के खाता सं0 146/143 के मु0नं0 60 के किला नं0 14 ता 17 व 21 से 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 24 की 0.253 है0 एवं किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 63 के किला नं0 21 ता 24 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 70 के किला नं0 1 से 4 व 7 ता 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 74 के किला नं0 1 से 5 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 किला नं0 6 की 0.1260 है0 व किला नं0 7 की 0.2530 है0 मु0नं0 75 के किला नं0 5 की 0.2530 है0 कुल क्षेत्रफल 10.2460 है0 जिसमें से नहरी 6.0720 है0 बारानी 4.1740 है0 भूमि में वादी 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, में वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

चूंकि उक्त विवादित भूमि की बाबत वादी ने खाता विभाजन का अनुतोष भी चाहा है अत : मुताबिक राजीनामा वादभूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

1. वादी रामसिंह के हिस्से में आई भूमि :– चक 4 जेएसएल के मु0नं0 20 के किला नं0 2 के पूर्वी हिस्से की 0.107675 है0 किला नं0 3 की 0.2280 है0 किला नं0 8 की 0.2530 है0 किला नं0 9 के पूर्वी हिस्सा की 0.120175 है0 चक नं0 3 जेएसएल

के मु0नं0 60 के किला नं0 15, 16, 24, 25 प्रत्येक की 0.2530 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक की 0.2530 है0 मु0नं0 63 के किला नं0 21 से 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 मु0नं0 71 के किला नं0 1 से 3 प्रत्येक की 0.2530 है0 किला नं0 8 से 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 74 के किला नं0 3 की पूर्वी तरफ की 0.2270 है0 किला नं0 4 व 5 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 किला नं0 6 की 0.126 है0 व किला नं0 7 की 0.2530 है0

2. प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र के हिस्सा में आई भूमि :– चक नं0 4 जेएसएल के मु0नं0 20 के किला नं0 1 की 0.2280 है0, किला नं0 2 की पश्चिम की तरफ की 0.120325 है0 किला नं0 9 की किला के पश्चिम की ओर की 0.132825 है0 भूमि एवं किला नं0 10 की 0.2530 है0 भूमि, चक नं0 3 जेएसएल के मु0नं0 60 के किला नं0 14 व 17, 21 से 23 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 भूमि एवं मु0नं0 70 के किला नं0 1 से 4, 7 से 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 71 के किला नं0 4 से 7 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 74 के किला नं0 1 व 2 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 व किला नं0 3 की किला की पश्चिमी ओर की 0.026 है0 एवं मुरबा नं0 75 के किला नं0 5 की 0.2530 है0

चक 3 जेएसएल के मु0नं0 71 के किला नं0 8 से 10 में प्रत्येक किला के दक्षिणी ओर पूर्व से पश्चिम में 0.013–0.013 है0 व चक 4 जेएसएल के मु0नं0 20 के किला नं0 1 व 10 में किला के पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण में 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि विवादित भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे व चक 3 व 4 जेएसएल में स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ऋषभ जैन)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आरएएस

प्रकरण सं0 : 188/2017

अनवान :

1. रामसिंह पुत्र श्री सुलतान जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र श्री सुलतान जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी
निर्णय **दिनांक :** 6/10/17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 जेएसएल के खाता सं0 189/197 के मु0नं0 20 के किला नं0 1 से 3 प्रत्येक किला की 0.2280 है0 एवं किला नं0 8 से 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 कुल 1.4430 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि एंव चक नं0 3 जेएसएल के खाता सं0 146/143 के मु0नं0 60 के किला नं0 14 ता 17 व 21 से 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 24 की 0.253 है0 एवं किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 63 के किला नं0 21 ता 24 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 70 के किला नं0 1 से 4 व 7 ता 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 74 के किला नं0 1 से 5 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 किला नं0 6 की 0.1260 है0 व किला नं0 7 की 0.2530 है0 मु0नं0 75 के किला नं0 5 की 0.2530 है0 कुल क्षेत्रफल 10.2460 है0 जिसमें से नहरी 6.0720 है0 बारानी 4.1740 है0 भूमि में बरवे जमाबन्दी 2071–74 हर दोनों चकों की उपर वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि पूर्व में पक्षकारान के पिता सुलतानसिंह पुत्र सालगराम जाट निवासी बेर की खातेदारी कृषि भूमि थी, जो सुलतानसिंह के देहान्त के बाद उसके दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी एवं सुलतानसिंह की पत्नी सरबती देवी तीनों के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि दर्ज हुई।

वादी एवं प्रतिवादी की माता सरबती देवी की हर दोनो चकों में अपने समस्त 1/3 हिस्से की खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि की दिनांक 08.10.2015 को अपने हिस्से की दस्तबरदारी तहरीर व तकमील करवाकर सब रजिस्ट्रार छानीबडी के कार्यालय में तस्दीक करवा दी। परन्तु उक्त दस्तबरदारी में बिना अधिकार गैर कानूनी रूप से यह दर्ज कर दिया कि दोनों खातों की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि की दस्तबरदारी अपने पुत्र महेन्द्र पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी बेर जो प्रतिवादी है के हक में कर के आज मिकरा दस्तबरदार होती है। इस आधार पर सरबती देवी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी महेन्द्र के नाम दर्ज होने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

से हर दोनों खातों में प्रतिवादी महेन्द्र के गैर कानूनी तौर पर 2/3 हिस्सा व वादी के 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया है। जिसका अमल दरामद जमाबन्दी में दर्ज है।

दस्तबरदारी केवल अपना हक व हिस्से का त्याग होता है क्योंकि दस्तबरदारी ट्रांसफर नहीं है। चूंकि दस्तबरदारी करने से सरबतीदेवी का हक तर्क हो गया और स्वतः ही उसका हक व हिस्सा शेष बचे सह खातेदार जो रक्त सम्बन्ध में उसके सगे पुत्र है, के नाम बहिस्सा बराबर कानूनन दर्ज होना चाहिए था। किन्तु केवल मात्र दस्तबरदारी में प्रतिवादी का नाम लिखने मात्र से गलत तौर पर उसके नाम 2/3 हिस्सा दर्ज हो गया। जबकि कानूनी तौर पर उपर वर्णित हर दोनों चकों की सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रतिवादी 2/3 हिस्सा एवं वादी का 1/3 हिस्सा की बजाय वादी एवं प्रतिवादी दोनों का संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए था।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाब दावा पेश किया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 3 व 4 जेएसएल में अपने व अपने भाई के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि की बहिस्सा बराबर के अनुसार घोषणा करवाने एवं मुताबिक कब्जाकाश्त खाता विभाजन करवाने हेतु वाद पेश किया है। प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से सरबतीदेवी जो कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 की माता है द्वारा विवादित भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अकेले प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र के पक्ष में त्याग करना साबित है। वादभूमि की बाबत वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है इस प्रकार वादी के दावा को कोई खण्डन नहीं हुआ है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 जेएसएल के खाता सं0 189/197 के मु0नं0 20 के किला नं0 1 से 3 प्रत्येक किला की 0.2280 है0 एवं किला नं0 8 से 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 कुल 1.4430 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि एंव चक नं0 3 जेएसएल के खाता सं0 146/143 के मु0नं0 60 के किला नं0 14 ता 17 व 21 से 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 24 की 0.253 है0 एवं किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 63 के किला नं0 21 ता 24 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 70 के किला नं0 1 से 4 व 7 ता 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 74 के किला नं0 1 से 5 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 किला नं0 6 की 0.1260 है0 व किला नं0 7 की 0.2530 है0 मु0नं0 75 के किला नं0 5 की 0.2530 है0 कुल क्षेत्रफल 10.2460 है0 जिसमें से नहरी 6.0720 है0 बारानी 4.1740 है0 भूमि में वादी 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, में वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

हायक कलक्टर
ट ट्रेक) भादरा

चूंकि उक्त विवादित भूमि की बाबत वादी ने खाता विभाजन का अनुतोष भी चाहा है अत : मुताबिक राजीनामा वादभूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. वादी रामसिंह के हिस्से में आई भूमि :– चक 4 जेएसएल के मु0नं0 20 के किला नं0 2 के पूर्वी हिस्से की 0.107675 है0 किला नं0 3 की 0.2280 है0 किला नं0 8 की 0.2530 है0 किला नं0 9 के पूर्वी हिस्सा की 0.120175 है0 चक नं0 3 जेएसएल के मु0नं0 60 के किला नं0 15, 16, 24, 25 प्रत्येक की 0.2530 है0 मु0नं0 62 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक की 0.2530 है0 मु0नं0 63 के किला नं0 21 से 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 मु0नं0 71 के किला नं0 1 से 3 प्रत्येक की 0.2530 है0 किला नं0 8 से 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 74 के किला नं0 3 की पूर्वी तरफ की 0.2270 है0 किला नं0 4 व 5 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 किला नं0 6 की 0.126 है0 व किला नं0 7 की 0.2530 है0
2. प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र के हिस्सा में आई भूमि :– चक नं0 4 जेएसएल के मु0नं0 20 के किला नं0 1 की 0.2280 है0, किला नं0 2 की पश्चिम की तरफ की 0.120325 है0 किला नं0 9 की किला के पश्चिम की ओर की 0.132825 है0 भूमि एवं किला नं0 10 की 0.2530 है0 भूमि, चक नं0 3 जेएसएल के मु0नं0 60 के किला नं0 14 व 17, 21 से 23 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 भूमि एवं मु0नं0 70 के किला नं0 1 से 4, 7 से 10 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 71 के किला नं0 4 से 7 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 मु0नं0 74 के किला नं0 1 व 2 प्रत्येक किला की 0.2530 है0 व किला नं0 3 की किला की पश्चिमी ओर की 0.026 है0 एवं मुरबा नं0 75 के किला नं0 5 की 0.2530 है0

चक 3 जेएसएल के मु0नं0 71 के किला नं0 8 से 10 में प्रत्येक किला के दक्षिणी ओर पूर्व से पश्चिम में 0.013–0.013 है0 व चक 4 जेएसएल के मु0नं0 20 के किला नं0 1 व 10 में किला के पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण में 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि विवादित भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे व चक 3 व 4 जेएसएल में स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ऋषभ जैन)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़